# बिहार सरकार
# लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

## संकल्प

पत्रांक-5/आ03-104/2013- 318 पटना, दिनांक- 05/04/18

श्री सुनील कुमार दीपक, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जाली हस्ताक्षर बनाकर कार्य का भुगतान करने के संबंध में श्री अनिमेष आनंद, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिला संयोजक, मुंगेर, स्थायी पता-ग्राम-शिवगंज, पोस्ट-दरियापुर, थाना-मुफ्फसिल, जिला-मुंगेर तथा श्री भानू कुमार, ग्राम+पोस्ट-बड्डोपुर, थाना-पण्डारक, भाया-बाढ़, पिन कोड-803214 का परिवाद पत्र विभाग को प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक-245, दिनांक-07.06.2013 द्वारा श्री अविनेश कुमार वर्मा, तत्कालीन संयुक्त सचिव (प्र०को०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना से परिवाद पत्र के आलोक में मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

2. श्री वर्मा द्वारा गैर सरकारी प्रेषण संख्या-1426, दिनांक-24.11.2014 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में पाया गया कि कराये गये कार्यो का भुगतानं हस्तरसीद पर किया गया है, जिस पर भुगतान प्राप्त करने वाले लेवरमेट का नाम एवं हस्ताक्षर तो अंकित है, परन्तु पूर्ण पता अंकित नहीं होने के कारण प्रामाणक की सत्यता संदिग्ध हो जाती है। साथ ही आरोपित सहायक अभियंता, श्री दीपक को विभागीय पत्रांक-6/वि०3-106/06-69 दिनांक-24.05.2006 का अनुपालन नहीं करने का भी उत्तरदायी माना गया। उक्त विभागीय पत्रांक द्वारा सभी प्रभंडलों को निदेशित किया गया था कि विभागीय स्तर से कराये जाने वाले सभी कार्यो के सामग्री का प्रमाणक अलग दी जाय तथा श्रमिकों का भुगतान मास्टर रॉल पर किया जाय।

3. जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री दीपक के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-86, दिनांक-24.01.2018 द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री दीपक द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-07.02.2018 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा श्री दीपक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री दीपक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है। श्री दीपक के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया।

4. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री दीपक के विरूद्ध अभिकथित आरोपों के लिए बिहार राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री सुनील कुमार दीपक, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, खगड़िया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार राज्यपाल विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विमल कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं मो० सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या-4, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. आरोपित श्री दीपक, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

6. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

7. **आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री सुनील कुमार दीपक, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, खगड़िया जांच संचालन पदाधिकारी, श्री विमल कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, मो० सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या-4, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक-5/आ03-104/2013- 318 पटना, दिनांक- 05/04/18

प्रतिलिपि:- आरोप पत्र की प्रति के साथ जांच संचालन पदाधिकारी श्री विमल कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मो० सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या-4, पटना/श्री सुनील कुमार दीपक, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक-5/आ03-104/2013- 318 पटना, दिनांक- 05/04/18

प्रतिलिपि:- सचिव के निजी सहायक/उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)
सचिव

Ravin ji sankalp